कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर

नरसिंह भवन 487001 नरसिंहपुर फोन नं .07792-230900 E-mail:- dmnarsinghpur@nic.in
Fax No. 230915 website:- www.narsinghpur.nic.in

क्रं./10004/सॉ०लि०/2025 नरसिंहपुर, दिनांक 24 /10/2025

-:आदेश:-

दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन कराये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 17/10/2025 द्वारा सर्व संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे तथा पीआरओ जनसंपर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया था।

उक्त समस्त दिशा निर्देशों के उपरांत भी, दीपवली पर्व पर गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी "कार्बाइड गन" का सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर अवैध रूप से उसका निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग किये जाने की घटना प्रकाश में आयी हैं। कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड एवं पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जो न केबल ऑखों के लिए बल्कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है। मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में इसके उपयोग से कई व्यक्तियों की ऑखों की रोशनी चले जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। भविष्य में भी इसका उपयोग विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: इसके निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना अत्यावशक है।

2/ अत: मैं रजनी सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला नरसिंहपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नरसिंहपुर जिले में आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी "कार्बाइड गन" तथा इसी प्रकार के विधि विरूद्ध अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन एवं इसके उपयोग को तत्काल प्रतिबंधित करती हूँ।

3/ यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित होकर आम जन से संबंधित है। यह आदेश आमजन को व्यक्तिगत रूम से तामील/उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने से एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश को सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित/प्रसारित कराया जाए। अपर संचालक/पीआरओ जन सम्पर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नि:शुल्क प्रमुखता से नि:शुल्क प्रकाशन/प्रसारण कराना सुनिश्चित करें।

4/ किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गन के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग की सूचना प्राप्त होती है तो वह इसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम 07792-181 पर उपलब्ध कराए। कंट्रोल रूम तत्काल पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को ऐसी सूचनाओं से अवगत करायेगें, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर ऐसी सूचनाए प्राप्त होने तथा उक्तादेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5/ उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डनीय होगा।

यह आदेश आज दिनांक 24/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(रजनी सिंह)
जिला दण्डाधिकारी
जिला नरसिंहपुर

पृ.क्रं./10005/सॉ०लि०/2025 **नरसिंहपुर, दिनांक 24/10/2025**

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त महोदय, जबलपुर संभाग,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि, समस्त थाना प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. अपर जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर/गोटेगांव/गाडरवारा/तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र०प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार सर्व जिला नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पंचायत सर्व जिला नरसिंहपुरकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग नरसिंहपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
13. थाना प्रभारी, थाना..जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला दण्डाधिकारी

जिला नरसिंहपुर

जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर